भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

* * *

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 576

(दिनांक 16.09.2020 को उत्तर के लिए)

कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति

576. **श्री तेजस्वी सूर्या :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की 30 वर्षों की अधिकतम सेवावधि पूरी होने के पश्चात् उन्हें सेवानिवृत्त करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार विभिन्न राज्यों में केन्द्र सरकार के सभी कर्मचारियों को इसके लिए अधिदेशित करेगी;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार विभिन्न राज्य सरकारों के सभी कर्मचारियों को भी इसके लिए अधिदेशित करेगी; और

(घ) सरकारी कर्मचारियों की सेवा को 30 वर्षों तक सीमित करने के पीछे क्या उद्देश्य है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) : केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राज्य सरकार के कर्मचारी उनकी संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए नियमों/विनियमों द्वारा अभिशासित होते हैं।

(ख) से (घ) : उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

******